प्रेस विज्ञप्ति

03.04.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इम्फाल उप आंचलिक कार्यालय ने मणिपुर पुलिस द्वारा दर्ज 7(सात) एफआईआर के आधार पर सनसम जैकी सिंह और लामजिंगबा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अन्य अधिकारियों से जुड़े पीएमएलए मामले में संपत्तियों की बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

ईडी की जांच से पता चला है कि सनसम जैकी सिंह की अध्यक्षता वाली लामजिंगबा ग्रुप ऑफ कंपनीज एक धोखाधड़ी वाली "निवेश/जमा योजना" चला रही थी, जिसमें निवेशकों को बहुत अधिक रिटर्न का वादा किया गया था और परिणामस्वरूप, 15000 से अधिक भोले-भाले निवेशकों को 600 करोड़ रुपये (लगभग) की ठगी की गई। इन पैसों का इस्तेमाल कई संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया। इस मामले में सनसम जैकी सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद 63.52 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों की अनंतिम कुर्की की गई थी। इसके बाद, सनसम जैकी सिंह, एम. रोबिंद्रो सिंह, लामजिंगबा ग्रुप कंपनियों और अन्य के खिलाफ 20.03.2023 को अभियोजन शिकायत संख्या 02/2023 दायर की गई। ईडी ने शिकायत में कुर्क की गई संपत्तियों को जब्त करने की भी प्रार्थना की, जिसमें एक निर्माणाधीन होटल संपत्ति भी शामिल है। मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।

इस मामले में, माननीय मणिपुर उच्च न्यायालय के समक्ष वाहेंगबाम प्रताप सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ शीर्षक से रिट याचिका संख्या 792/2024 दायर की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंफाल पूर्व को याचिकाकर्ताओं के दावों पर विचार करने का निर्देश दिया था, ताकि दावेदारों से संबंधित संपत्तियों की बहाली के लिए, कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सख्ती से विचार किया जा सके। इसके बाद, निवेशकों ने पीएमएलए न्यायालय, इंफाल पूर्व के समक्ष याचिका दायर की, जिसमें संपत्तियों की नीलामी करके जब्त संपत्तियों की बहाली और उन्हें वापस करने की प्रार्थना की गई। ईडी ने अपने जवाब में दावे का समर्थन किया। माननीय विशेष न्यायाधीश, पीएमएलए, इंफाल पूर्व ने इस प्रकार धन शोधन निवारण (संपत्ति की बहाली) नियम, 2016 के नियम 3(ए) के अनुसार इच्छुक व्यक्तियों से दावे आमंत्रित करने और याचिकाकर्ताओं को स्थानीय भाषा में राज्यव्यापी प्रकाशन वाले दो समाचार पत्रों और अंग्रेजी में एक अन्य समाचार पत्र में समाचार पत्र प्रकाशन के लिए निर्देशित करने के लिए 21.03.2025 को एक आदेश पारित किया।